

# भारतीय बैंक संघ

## प्रेस विज्ञप्ति भारतीय बैंक संघ

सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसी भ्रामक रिपोर्ट आ रही हैं कि कई सावधानिक क्षेत्र के बैंकों को वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और उनका अस्तित्व खतरे में है। यह दुष्प्रचार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा त्वरित सुधार कारवाइ (पीसीए) फ़्रेमवर्क लागू किए जाने के उपरांत किया जा रहा है।

आईबीए द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ये अफवाह बे-बुनियाद हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन सावधानिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में त्वरित सुधार कारवाइ आरंभ की है, जिनमें पूंजी और अस्तित्व गुणवत्ता (असेटक्वालिटी) संबंधी निर्धारित सीमा संबंधी नियमों का उल्लंघन हुआ है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लागू पीसीए वर्ष 2002 से अस्तित्व में है। पीसीए के अंतर्गत उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों से इन बैंकों के समग्र कार्य-निष्पादन में बेहतरों होगी। आईबीए आम जनता तथा जमाकर्ताओं को आश्वस्त करता है कि भयभीत अथवा आतंकित होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उनका पैसा सुरक्षित है। अतः वे किसी भी तरह के दुष्प्रचार का शिकार न बनें।

इस संबंध में अधिक जानकारों हेतु आम जनता तथा जमाकर्ताओं का ध्यान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 5 जून, 2017 को जारी प्रसावज्ञप्ति में दिए गए स्पष्टीकरण की ओर आकांक्षित किया जाता है।

**अध्यक्ष**

**भारतीय बैंक संघ**